

वित्त-II अनुभाग (वित्त - II अनुभाग)

कार्य मदें

अन्य सूचना

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम - प्रतिष्ठान मामले -
वित्तीय पहलू।

अनुभाग का नाम: वित्त-II

कमरा नं.: 616

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठकें।

दूरभाष संख्या: ऑटो
23001429 : 2429

3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - वित्तीय पहलू।

चैनल के अधिकारी:

श्री पी. भट्टाचार्य -अनुभाग
अधिकारी

4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की
बैठक।

श्री एच.सी. भनोट - अवर सचिव

श्री ए.वी. सिंह - निदेशक

5. परिवार पेंशन योजना - वित्तीय पहलू।

श्री - संयुक्त सचिव एवं वित्तीय

6. ईपीएफओ के कर्मचारियों की जमा लिंकड बीमा
योजना।

सलाहकार

अपर सचिव

7. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 - वित्तीय
पहलू।

सचिव

8. अभक खान श्रम कल्याण कोष, मैंगनीज, लौह
अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण
कोष, चूना पत्थर और डोलोमाइट माइंस लेबर
वेलफेयर फंड, बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष, सिने
वर्कर्स वेलफेयर फंड - कल्याण योजनाएं।

www.labour.gov.in

पर भी जाएँ

9. श्रम कल्याण संगठन - प्रतिष्ठान मामले

10. माइका, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट
माइंस, बीड़ी श्रमिक और सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड
के लिए सलाहकार समिति की बैठक।

11. श्रम मंत्रालय, इसके संबद्ध और अधीनस्थ
कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के वेतन के

भुगतान से संबंधित मामले।

12. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी संगठनों की पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले।
13. वित्त मंत्रालय और डीओपीटी द्वारा जारी किए गए नियमों/निर्देशों में व्याख्या - उसका स्पष्टीकरण।
14. वेतन आयोग की सिफारिशें और उसका क्रियान्वयन।
15. श्रम मंत्रालय द्वारा डेप्यूटेशन/डेलिगेशन को विदेश भेजने के प्रस्ताव जिनमें संबंधित और सहायक अधिकारी शामिल हैं तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वायत्तशासी संगठन।
16. वित्तीय प्रतिबंधों के विविध मामले।
17. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
18. रिपोर्ट/रिटर्न - ओ एंड एम, हिंदी, विदेशी प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधिमंडल और अन्य विविध मामले।

** * * * *